भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3030

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सैनिटरी उत्पादों का सुरक्षित निपटान

3030. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिनों के सुरक्षित निपटान के बारे में जागरुकता फैलाने और शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भस्मक, 'बायोडिग्रेडेबल नैपकिन' या पुन: प्रयोज्य 'सैनिटरी पैड' जैसे किफायती और पर्यावरण अनुकूल निपटान विकल्प प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) क्या सरकार पुन: प्रयोज्य पैडों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए सतत् विकल्प के रूप में उनके संवर्धन और वितरण पर विचार कर रही है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/पहलों के माध्यम से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पद्धतियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किशोरियों में जागरूकता बढ़ाने, किशोरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच बढ़ाने और उनका उपयोग करने तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों और

अग्रिम पंक्ति के कर्मियों-सहायक नर्स धात्रियों (एफएलडब्ल्यू-एएनएम), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत प्रदान किए गए बजट के साथ योजना में उचित रूप से उन्मुख किया जाता है। इसके अलावा, 'मिशन शक्ति' के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) घटकों में से एक उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता पहलू पर व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अपने समग्र प्रयासों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा नामक एक समेकित योजना कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें और भस्मक लगाना शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों के लिए स्कीम (एसएजी) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत एक घटक उनके स्वास्थ्य एवं पोषणिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रबंधन के नए तरीकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवेश में महिलाओं के बीच उनकी सुरक्षा, स्वीकार्यता, सामर्थ्य, प्रभावकारिता और व्यवहार्यता के लिए सैनिटरी नैपकिन के अन्य स्थायी विकल्पों पर गौर करने के लिए अनुसंधान और अध्ययन करता है।

इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से, मासिक धर्म स्वच्छता योजना को राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) मार्ग के माध्यम से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' (एनएचएम) द्वारा सहायता की जाती है। राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त मूल्यों पर सैनिटरी नैपकिन पैकों का प्रापण करें। वर्ष 2021-22 में 'स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली' (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार लगभग 35.31 लाख और वर्ष 2022-23 में लगभग 44.85 लाख किशोरियों को हर महीने सैनिटरी

नैपकिन पैक प्रदान किया गया। सरकार ने वहनीय मूल्य पर सैनिटरी नैपकिन और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए भी पहल की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करता है, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के तहत, देश भर में 12600 से अधिक जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं जो केवल 1/- रुपये प्रति पैड पर 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, क्योंकि ये पैड एएसटीएम डी-6954 (बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट) मानकों का अनुपालन करते हुए ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने हैं। दिनांक 30.06.2024 तक सुविधा नैपकिन की संचयी बिक्री 57 करोड़ है।

*****